डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Empowerment of Persons with Disabilities Department
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

1. कुलपति	:	अध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण	:	सदस्य
3. प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य	:	सदस्य
4. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य	:	सदस्य
5. श्री आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	:	सदस्य
6. परीक्षा नियंत्रक	:	सदस्य
7. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	:	सदस्य
8. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।	:	सदस्य
9. प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।	:	सदस्य
10. प्राचार्य, विमला महाविद्यालय, लखनऊ।	:	सदस्य

पत्रांक : 2132 / पत्रा.COE-31(II)/DSMNRU/2021–22 दिनांक: 05 ~~दिसम्बर,~~ जनवरी 2022 2021

महोदया/महोदय,

कृपया डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की परीक्षा समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनाँक 09.12.2021 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोपरि।

5/01/2022

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के परीक्षा समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनाँकः 09 दिसम्बर, 2021 का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न 03:00 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की ग्यारहवीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/11	**परीक्षा समिति की दशम् बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा दशम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/11	**परीक्षा समिति की दशम् बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2021 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति की दशम् बैठक में बिन्दुवार लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति अवगत हुई।
3/11	**विश्वविद्यालय में अन्तिम अधिसत्र के परीक्षा परिणाम में फाइनल सी0जी0पी0 का कॉलम बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विश्वविद्यालय में अन्तिम अधिसत्र/वर्ष के परीक्षा परिणाम में फाइनल सी0जी0पी0 का कॉलम बढ़ाते हुए अन्तिम रूप से उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण का उल्लेख करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/11	**विश्वविद्यालय में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में आंतरिक परीक्षा के अन्तर्गत मिड सेमेस्टर टेस्ट एवं एसाइनमेण्ट/प्रजेण्टेशन दोनों परीक्षा आवेदन अनिवार्य रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा पूर्व में आयोजित हो चुकी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट परीक्षार्थियों के प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के आधार पर गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचार–विमर्शोंपरांत यह निर्णय लिया गया कि स्पेशल बैक पेपर–2021 की परीक्षा में आवेदन करने वाले परीक्षार्थी को इस प्रतिबन्ध के अधीन सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाये कि उसके द्वारा सम्बन्धित प्रश्न–पत्र की समस्त विद्याओं (लिखित परीक्षा एवं आंतरिक परीक्षा) में निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
5/11	**विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की अनुत्तीर्ण की अंक–तालिका को जमा न कराये जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**– परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण न पाए जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत प्रस्ताव को निरस्त किया गया। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि बैक/स्पेशल बैक पेपर परीक्षा हेतु आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संबंधित अधिसत्र की पी.सी.पी./अनुत्तीर्ण की अंक तालिका मूलरूप में संलग्न कर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
6/11	**विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि से पूर्व परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**– परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि बहुधा विद्यार्थियों द्वारा अन्यत्र प्रवेश हेतु आवेदन अथवा नौकरी हेतु आवेदन के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग की जाती है, किन्तु सामान्यतः विभिन्न पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तैयार करना एवं परिणाम घोषणा सीमित समयावधि में संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे विद्यार्थी जिन्हें इस विश्वविद्यालय के इतर अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालय में उच्चतर पाठ्यक्रम में आवेदन करना हो अथवा सरकारी/गैर–सरकारी संस्थान में रोजगार हेतु आवेदन किए जाने के लिए परीक्षा परिणाम की अनिवार्य आवश्यकता हो, तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को सशुल्क गोपनीय परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने की सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना है। **निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि :–** **(क)** ऐसे विद्यार्थी जिन्हें इस विश्वविद्यालय के इतर अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालय में उच्चतर पाठ्यक्रम में

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	आवेदन करना हो अथवा सरकारी/गैर–सरकारी संस्थान में रोजगार हेतु आवेदन किए जाने के लिए परीक्षा परिणाम की अनिवार्य आवश्यकता हो, उन विद्यार्थियों को सशुल्क निर्धारित तिथि से पूर्व परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। **(ख)** परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व परीक्षा परिणाम हेतु विद्यार्थियों (गैर–दिव्यांग) से शुल्क के रूप में धनराशि रू0 5000/–(रू0 पांच हजार मात्र) एवं दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु धनराशि रू0 2500/–(रू0 ढाई हजार मात्र) निर्धारित की गयी। **(ग)** अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालय में उच्चतर पाठ्यक्रम में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम संलग्न किए जाने संबंधित निर्देश/प्रपत्र तथा सरकारी/गैर–सरकारी संस्थान में रोजगार प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान से निर्गत ज्वाइंनिंग लेटर/कॉल लेटर संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निर्धारित तिथि से पूर्व परीक्षा परिणाम हेतु उनका आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाये। **(घ)** परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की निर्धारित तिथि से पूर्व परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित मामले उपरोक्त निर्णय से आच्छादित होंगे।
7/11	**विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों से अंक–पत्र एवं उपाधि संशोधन हेतु शुल्क माफी के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/अध्ययन कर चुके मात्र दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों की अंक–पत्र एवं उपाधि में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु निर्धारित शुल्क माफ किए जाने तथा अंक–तालिका एवं उपाधि के खोजाने अथवा नष्ट हो जाने पर भी द्वितीय प्रति निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क माफ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/11	**अस्थायी रूप से प्रोन्नत किये गये विद्यार्थियों जिन्होंने इस हेतु आयोजित बैक पेपर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनमें से बी0कॉम एलएलबी0 के विद्यार्थियों की परीक्षा के आयोजन तथा शेष अभ्यर्थियों के आगामी अधिसत्र में प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में परीक्षा अनुभाग द्वारा सशर्त अस्थायी प्रोन्नति प्रदान किये गये विद्यार्थियों द्वारा जिन्होंने बैक पेपर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनका ऑन–लाइन परीक्षा आवेदन आदि की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उनको आगामी अधिसत्र में प्रोन्नति प्रदान किये जाने तथा बी0कॉम एलएलबी0 के विद्यार्थियों की अस्थायी प्रोन्नति के उपरांत बैक पेपर परीक्षा उत्तीर्ण होने के दृष्टिगत उनकी परीक्षा कराए जाने हेतु सम–विषम अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा के साथ बी0कॉम एलएलबी0 की परीक्षा आयोजन कराए जाने एवं जो अभ्यर्थी अंतिम अधिसत्र की परीक्षा दे चुकें हैं, बी0कॉमएलएलबी0 के उन विद्यार्थियों की परीक्षा आगामी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के साथ कराए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
9/11	**विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र–2021–22 से प्रवेशित विद्यार्थियों को नवीन संशोधित पद्धति से इनरोलमेण्ट नम्बर निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र–2021–22 से प्रवेशित विद्यार्थियों को नवीन संशोधित पद्धति से निम्नानुसार इनरोलमेण्ट नम्बर निर्गत किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयीः– **Enrollment number for University** DSMNRU + Academic year (Last two disit)+ or University code + branch code + 001 (student serial no.) **Enrollment number for College** DSMNRU + Academic year (Last two disit)+ or College code + branch code + 001 (student serial no.) उपरोक्तानुसार परीक्षा समिति द्वारा यूनिवर्सिटी कोड 03 डिजिट का निर्धारित करने तथा 03 डिजिट के कालेज कोड से पूर्व A का प्रयोग किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/11	**विश्वविद्यालय में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 (द्वितीय) के आयोजन के सम्बन्ध में।**
	1. परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि शैक्षणिक सत्र 2020–21 के अन्तर्गत आयोजित मिड सेमेस्टर/मौखिकी/प्रायोगिक–आन्तरिक परीक्षाओं एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुपस्थित, अनुत्तीर्ण संगत

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

विषयों/प्रश्न–पत्रों हेतु उनके भविष्य हित के दृष्टिगत अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः स्पेशल बैक परीक्षा–2021 का आयोजन किया जाना है।

2. समिति को अवगत कराया गया कि विगत शैक्षिक सत्रों में अध्ययनरत् रहे विद्यार्थियों में से कतिपय विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में आयोजित स्पेशल बैक परीक्षाओं के निर्गत परीक्षा परिणामों पर असंतोष के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के हेतु गठित समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग हेतु अंतिम अवसर प्रदान किए जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस हेतु रू0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनका अंतिम अवसर होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय प्रदान किए गएः–

(क) शैक्षणिक सत्र 2020–21 के अन्तर्गत आयोजित मिड सेमेस्टर/मौखिकी/प्रायोगिक–आन्तरिक परीक्षाओं एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुपस्थित, अनुत्तीर्ण संगत विषयों/प्रश्न–पत्रों हेतु उनके भविष्य हित के दृष्टिगत अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः स्पेशल बैक परीक्षा–2021 का आयोजन किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) विगत शैक्षिक सत्रों में अध्ययनरत् रहे पूर्व में आयोजित स्पेशल बैक परीक्षाओं के निर्गत परीक्षा परिणामों पर असंतोष के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिगत ऐसे अभ्यर्थियों को स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग हेतु अंतिम अवसर प्रदान किए जाने की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान करते हुए परीक्षा समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गएः–

1. उपरोक्तानुसार विद्यार्थियों से रू0 10/– का गैर–न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लेने के स्थान पर विद्यार्थियों ऑन–लाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र में एक कॉलम में समिति द्वारा वर्णित शपथ–पत्र रूपरेखा अंकित की जाए।
2. संबंधित विद्यार्थी को ऑन–लाइन आवेदन पत्र में अंकित उक्त शपथ पत्र पर सहमति देनी होगी। विद्यार्थी की सहमति न होने की स्थिति में विद्यार्थी को उक्त स्पेशल बैक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान न की जाए।

(ग) परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्तानुसार स्पेशल बैक पेपर परीक्षा हेतु प्रस्तावित आवेदन शुल्क पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(घ) पूर्व में आयोजित स्पेशल बैक पेपर परीक्षा की भाँति वर्तमान सत्र–2021 में पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सम्मिलित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा विनियमन–2020 के बिन्दु संख्या–5 में वर्णित व्यवस्थानुसार यदि आगामी सत्रों में पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है, जिसमें उनके अन्तिम अधिसत्र/वर्ष के साथ अथवा पृथक से कोई भी बैक पेपर शेष बचते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके फाइनल बैक पेपर परीक्षा के आयोजन पर विचार किया जा सकता है, जिसमें सम्बन्धित अभ्यर्थियों के समस्त पूर्व के अधिसत्रों/वर्ष के शेष समस्त बैक पेपरों को फाइनल बैक पेपर परीक्षा में एक साथ आयोजित करा लिया जायेगा।

11/11

विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र–2021–22 में विषम अधिसत्र की परीक्षाओं के क्रम में आयोजित होने वाली आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर) के आयोजन के सम्बन्ध में।

निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरांत विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र–2021–22 में विषम अधिसत्र की परीक्षाओं के क्रम में मिड सेमेस्टर (आंतरिक परीक्षा) 2021 के अन्तर्गत मात्र एसाइनमेन्ट/प्रेजेन्टेशन के आधार पर मिड सेमेस्टर (आंतरिक परीक्षा) का पूर्णांक मानकर मूल्यांकन कराये जाने तथा उक्त आंतरिक परीक्षा दिनाँक 13.12.2021 से 20.12.2021 के मध्य सम्पन्न कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ